यालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–71/2017 **धारा–144 दं0प्र0सं0**

राधेश्याम प्रसाद मेहता वगै0 –बनाम– गोविन्द प्रसाद

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति
01/12/17	प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 10.06.2017 को द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा की मांग की गयी तथा थाना प्रभारी, बरही (पदमा) से भी जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा प्राप्त है।	

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–
मौजा–परतन, थाना– बरही (पदमा), जिला–हजारीबाग।

खाता सं0	**प्लॉट सं0**	**रकबा**	**चौहदी**
01	1329 1388	37 डी0 मधे क्रमशः 0.5 डी0 एवं 02 डी0	उ0–सुरेन्द्र प्रसाद मेहता द0–रास्ता पू0–परबील मेहता प0–रास्ता से सटे गोविन्द मेहता

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि सभी भाईयों के बीच बंटवारा के बाद प्रथम पक्ष को हिस्से में मिला है, जिसपर प्रथम पक्ष का वर्षो से दखल कब्जा है और अन्य भाईयों की जमीन परती है तथा कुछ भाई का मकान निर्मित है। बंटवारा होने के बाद से प्रथम पक्ष अपने हिस्से वाली भूमि में आज तक शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है। दिनांक 07.06.2017 को द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि पर मकान बनाने के उद्देश्य से ईटा–बालू गिराकर बुनियाद खोदने लगे, जिससे मना करने पर लडाई–झगडा पर उतारू हो गये। पुनः प्रथम पक्ष के द्वारा संशोधन आवेदन दिया गया कि प्रश्नगत भूमि उभय पक्षों की निबंधित केवाला से क्रय की गयी भूमि है तथा इनके पूर्व के आवेदन में प्लॉट सं0–1329 का रकबा संशोधित कर इसे 0.5 डी0 एवं अन्य प्लॉट 1388 का रकबा–02 डी0 कर दिया जाय। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उभय पक्षों की निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय की गयी भूमि है, परन्तु प्लॉट सं0–1388, रकबा–02 डी0 भूमि द्वितीय पक्ष के पिता के स्वामित्व की भूमि है तथा द्वितीय पक्ष अपने पिता की अनुमति से इस पर घर बनाकर परिवार सहित रह रहे है। प्लॉट सं0–1329 की भूमि से द्वितीय पक्ष का कोई लेना–देना नहीं है। प्रथम पक्ष द्वारा उल्लेखित घटना में कोई सच्चाई नहीं है। द्वितीय पक्ष ने भी अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किये है।

प्रथम पक्ष के आवेदन एवं द्वितीय पक्ष के कारणपृच्छा एवं अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि संबंधित प्लॉट सं0–1388, रकबा–02 डी0 पर द्वितीय पक्ष का आवासीय निवास स्थल बना हुआ है, जिसपर दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की

जाती है। उभय पक्ष अपने–अपने स्वत्व के आधार पर अपने हिस्से की भूमि का दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में अपना वाद दाखिल करने को स्वतंत्र है।

इस आदेश के आलोक में कोई भी पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व (title) का दावा नहीं कर सकता है।

लेखापित एवं संशोधित

01/12

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

01/12

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।